27 जुलाई, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बाल्यान की अध्यक्षता में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति की 13वीं बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बाल्यान की अध्यक्षता में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति की तेरहवीं बैठक 27 जुलाई, 2017 को 15:30 बजे विज्ञान भवन नई दिल्लीमें आयोजित की गई। श्री गिरीश महाजन, माननीय जल संसाधन मंत्री, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों के सदस्यों / विशेष आमंत्रितों और प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों/आमंत्रितों और अन्य प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-I पर दी गई है।

प्रारंभ में, माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री, डॉ संजीव कुमार बाल्यान ने बैठक में विशेष समिति के सभी सदस्यों/विशेष आमंत्रितों और अन्य प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। देश में नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) के लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना कार्यान्वयन के लिए शुरू की जाने वाली पहली आईएलआर परियोजना है जिसके लिए विभिन्न मंजूरी प्राप्त की गई है।

इसके बाद माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने महाराष्ट्र के माननीय मंत्री से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया।

श्री गिरीश महाजन, माननीय जल संसाधन मंत्री, महाराष्ट्र सरकार ने उल्लेख किया कि उनकी राज्य सरकार पार-तापीनर्मदा और दमनगंगा-पिंजाल लिंक परियोजनाओं का पूरा समर्थन कर रही है और पानी के बंटवारे और जल बंटवारे के लिए समझौता ज्ञापन के बारे में चर्चा अग्रिम चरण में थी। दमनगंगा-पिंजाल लिंक मुंबई शहर को पेयजल आपूर्ति प्रदान करेगा जो कि नितांत आवश्यक है। उन्होंने महाराष्ट्र के अंतर-राज्यीय लिंक नामत: नार -पार -गिरना घाटी, दमनगंगा (एकदारे)-गोदावरी लिंक और दमनगंगा-वैतरना-गोदावरी (कडवा देव) लिंक को भी शामिल करने का अनुरोध किया, जो महाराष्ट्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों को एमओयू में लाभान्वित करते हैं, ताकि कम जल वाले गिरना बेसिन और गोदावरी बेसिन के ऊपरी इलाकों में पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि इस संबंध में समझौता ज्ञापन को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

इसके बाद माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने महानिदेशक, रा. ज. वि. अ को चर्चा के लिए एजेंडा मद लेने के लिए कहा।

मद संख्या 13.1: नदियों को आपस में जोड़ने की विशेष समिति की 27 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित 13वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने बताया कि 8 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति की 12वीं बैठक के कार्यवृत्त 13 अप्रैल, 2017 के पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों को परिचालित किए गए थे।12वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कर्नाटक सरकार की टिप्पणियों का उत्तर रा. ज. वि. अ द्वारा दिनांक 6 जून, 2017 के पत्र द्वारा दिया गया। रा. ज. वि. अ के उत्तर के आलोक में कार्यवृत्त में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। परिचालित के रूप में समिति द्वारा बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 13.2: पिछली बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

मद संख्या 13.2.1: आईएलआर के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत गठित कानूनी समूह की रिपोर्ट

महानिदेशक ,रा. ज. वि. अ ने बताया कि आईएलआर के लिए कार्यबल ने अंतर बेसिन जल अंतरण के सभी संबंधित कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के सेवानिवृत्त अध्यक्ष श्री एडी मोहिले की अध्यक्षता में एक कानूनी समूह का गठन किया है।कानूनी समूह ने अपने सौंपे गए कार्य को पूरा कर लिया है और मार्च, 2017 के दौरान अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स को सौंप दी है। आगे की चर्चा मद संख्या 13.11.के अंतर्गत अलग से कवर की गई है।

मद 13.3: केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I विभिन्न वैधानिक मंजूरी की स्थिति

महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण- । की विभिन्न मंजूरी की वर्तमान स्थिति को निम्नानुसार सूचित किया:

(i) *जल संसाधन मंत्रालय ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी-आर्थिक मंजूरी,* : 08.07.2016 को आयोजित 129 वीं बैठक में सचिव (*जल संसाधन मंत्रालय ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग*) की अध्यक्षता में मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक मंजूरी की सिफारिश की गई थी।

(ii) सांविधिक मंजूरी:

(क) वन्यजीव मंजूरी: एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति ने 23.8.2016 को आयोजित अपनी 39 वीं बैठक में कुछ शर्तों के साथ वन्यजीव मंजूरी के प्रस्ताव की सिफारिश की।

(ख) पर्यावरण मंजूरी: वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने 30.12.2016 को हुई अपनी बैठक में कुछ शर्तों के साथ पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए परियोजना की सिफारिश की।

(ग) वन भूमि पथांतरण मंजूरी: वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (एफएसी) ने 16 मई, 2017 को आयोजित अपनी बैठकों में वन मंजूरी की सिफारिश की है। चरण - I की मंजूरी कुछ शर्तों के साथ 25.05.2017 को जारी की गई।

(घ) जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) से मंजूरी: जनजातीय मंत्रालय ने पत्र दिनांक 04.01.2017 के माध्यम से जनजातीय मामलों के पहलुओं के संबंध में मंजूरी दे दी है।

(ड़) भारत के माननीय उच्चतम सन्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी): केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने 1 मई, 2017 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया। समिति ने प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुरोध किया जो कि इसे 23.5.2017 को प्रस्तुत किया गया है।

(iii) निवेश मंजूरी

जल संसाधन मंत्रालय ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की निवेश मंजूरी समिति ने 18,057.08 करोड़ रुपये की लागत के साथ दिनांक 19.06.2017 के पत्र से परियोजना को निवेश मंजूरी प्रदान दे दी है ।

(iii) कैबिनेट नोट:

सभी वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट नोट का प्रारूप30 मई, 2017 को संबंधित मंत्रालयों, राज्यों और पीएमओ को परिचालित किया

गया था। कैबिनेट नोट पर मध्य प्रदेश सरकार की टिप्पणियां प्राप्त हुईं, जिनका उत्तर जल संसाधन मंत्रालय ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा दिया गया है।

(v)प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव द्वारा समीक्षा

प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव ने 03.06.2017 को परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और निर्णय लिया कि (क) केबीएलपी पर पहले कैबिनेट के समक्ष सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा विचार किया जाना चाहिए और (ख) केबीएलपी को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में पुनर्गठित नर्मदा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएचडीसी) के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए लिया जाएगा। जैसा कि पीएमओ ने सलाह दी थी, पीआईबी नोट जून, 2017 में परिचालित किया गया ।

महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने बताया कि 04.07.2017 को कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव द्वारा एक और समीक्षा बैठक की गई थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को आपस में जल बंटवारे के मुद्दे को तेजी से सुलझाने की सलाह दी गई है।

(vi) फंडिंग पैटर्न

इस परियोजना को 2009 में एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। केबीएलपी को पहली आईएलआर परियोजना मानते हुए 90(केंद्र): 10(राज्य) के नीधियन पैटर्न पर विचार किया गया और सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

समिति के सदस्यों ने यह जानकारी नोट की ।

मद संख्या 13.4: केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-ii के डीपीआरकी वर्तमान स्थिति

महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने बताया कि केबीएलपी चरण-ii परियोजना की डीपीआर जिसमें लोअर ओरर बांध, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स शामिल हैं, को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्रीय जल आयोग में बीना कॉम्प्लेक्स और लोअर ओरर बांध के अलग-अलग डीपीआर की जांच की जा रही है।

13.4.1 पर्यावरण मंजूरी

(i) लोअर ऑरबांध: महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने एजेंडा नोट में दिए गए अनुसार लोअरऑरबांध के लिए पर्यावरण मंजूरी की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।

(ii) बीना कॉम्प्लेक्स : बीना कॉम्प्लेक्स के लिए आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 22 फरवरी, 2017 के पत्र द्वारा प्रदान की गई है।

13.4.2 वन मंजूरी

(i) लोअर ओरर बांध: महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने बताया कि वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (एफएसी) ने 30 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और वन भूमि पथांतरण के लिए परियोजना की सिफारिश की।

(ii) बीना कॉम्प्लेक्स : महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने बताया कि वन सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पत्र दिनांक 27 जुलाई 2016के द्वारा 1024.44 हेक्टेयर वन भूमि के पथांतरण के लिए केंद्र सरकार कीसैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

समिति के सदस्यों ने स्थिति को नोट किया।

मद संख्या 13.5: दमनगंगा-पिंजाल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाएं डीपीआर की वर्तमान स्थिति

मद संख्या 13.5.1: दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना

महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने एजेंडा में दिए गए टिप्पणियों के अनुसार दमनगंगा-पिंजाल लिंक परियोजना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया । उन्होंने आगे बताया कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री ने 20 जुलाई, 2017 के पत्र के माध्यम से दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक प्रस्तावों पर दोनों ने अपनी सरकार की गहरी रुचि को दोहराया था और महाराष्ट्र के चार इंट्रा-स्टेट लिंक को शामिल करने का अनुरोध किया था, जिनके नाम इस प्रकार है (i) दमनगंगा (एकदरे)-गोदावरी (143 एम.सी.एम. का पथांतरण); (ii) दमनगंगा-वैतरना-गोदावरी (कड़वा देव) लिंक परियोजना (202 एमसीएम का पथांतरण); (iii) नर-पार-तापी-नर्मदा इंट्रा स्टेट लिंक कम से कम 300 एमसीएम पानी का स्थानांतरण और (iv) पार-तापी-नर्मदा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के भाग के रूप में पार-गोदावरी लिंक (87 एमसीएम के विपथन के लिए) और गुजरात राज्य से उकाई बांध के अपस्ट्रीम में तापी बेसिन में 434 एमसीएम पानी की क्षतिपूर्ति करने का अनुरोध करता है ।

उपरोक्त मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 21 जुलाई, 2017 को सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) द्वारा प्रमुख सचिव, डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। ये मुद्दे जल संसाधन मंत्रालय ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग में विचाराधीन हैं।

मद संख्या 13.5.1.1: वन भूमि पथांतरण मंजूरी

महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने सूचित किया कि बृहन्मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) ने 30 जून 2016 को वन भूमि पथांतरण मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया था।

मद संख्या 13.5.1.2: जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) से मंजूरी

महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने सूचित किया कि अनुसूचित जाति के लिए पुनर्वास और पुनः स्थापना (आर एंड आर) योजना के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए), भारत सरकार से मंजूरी मांगने का प्रस्ताव दमनगंगा पिंजल लिंक परियोजना के संबंध में जनजाति परियोजना प्रभावित परिवारों को 30 जून, 2016 को अन्य दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया था।

मद संख्या 13.5.1.3: तकनीकी-आर्थिक मंजूरी

महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने उल्लेख किया कि दमनगंगा-पिंजाल लिंक परियोजना पर सचिवज.सं.न.वि. और गं. सं. वि की अध्यक्षता में दिनांक 8 जुलाई, 2016 को आयोजित अपनी 129वीं बैठक में जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया था तथा सांविधिक मंजूरी के अधीन तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्रदान की ।

उपरोक्त जानकारी को समिति के सदस्यों ने नोट किया।

मद संख्या 13.5.2: पर-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना

महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने एजेंडा नोट्स के अनुसार पर-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने उल्लेख किया कि कमांड क्षेत्र में अधिक आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए गुजरात सरकार के सुझावों पर विचार करके डीपीआर को

संशोधित किया गया है और मई, 2017 में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों को भेजा गया है। गुजरात सरकार ने 4 जुलाई, 2017तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकनके लिए सीडब्ल्यूसी को डीपीआर प्रस्तुत किया है।

महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने समिति को सूचित किया कि सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने 5 जुलाई, 2017 को गांधीनगर में माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात के साथ बैठक की। परियोजनाओं के जल और लाभों के बंटवारे के संबंध में दोनों राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र और संघ द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि परियोजना के दायरे में बदलाव के कारण वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा ईआईए अध्ययन के लिए टीओआर को संशोधित करना आवश्यक था। ईएसी ने 11.07.2017 को आयोजित अपनी बैठक में एक सीज़न के डेटा के साथ संशोधित ईआईए अध्ययन के लिए टीओआर पर विचार किया और सहमति व्यक्त की। यह बताया गया कि पार-तापी-नर्मदा लिंक के ईआईए अध्ययन को वैपकोस द्वारा तदनुसार संशोधित किया जा रहा था।

उपरोक्त स्थिति को समिति के सदस्यों ने नोट किया।

मद संख्या 13.6: संकोश-महानदी-गोदावरी लिंक के सिस्टम सिमुलेशन स्टडीज

महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने एजेंडा नोट्स के अनुसार इस लिंक की स्थिति को सूचित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि ओडिशा सरकार ने एनआईएच द्वारा किए गए अध्ययन पर कुछ टिप्पणियां की हैं, जिनकी रा. ज. वि. अ द्वारा जांच की जा रही है। ओडिशा के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार रा. ज. वि. अ की ओडिशा सरकार की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही थी।

सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) ने लिंक प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डाला कि महानदी-गोदावरी संकोश से तीस्ता-गंगा-दामोदर-सुवर्णरेखा-गोदावरी और दक्षिण में शुरू होने वाली लिंक परियोजनाओं की श्रृंखला का हिस्सा है। मानससंकोश-तीस्ता-गंगा लिंक महानदी बेसिन को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराएगा। महानदी गोदावरी लिंक की योजना इस पानी को महानदी के अधिशेष जल के साथ दक्षिण की ओर मोड़ने की है जो अप्रयुक्त रूप में

समुद्र में जा सकता है, यह परियोजना ओडिशा राज्य और पानी की कमी वाले दक्षिणी राज्यों को भी लाभ प्रदान करेगी।

कार्यसूची नोटों में दिए गए ब्यौरे समिति के सदस्यों द्वारा नोट किए गए ।

मद संख्या 13.7: मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एमएसटीजी) लिंक

महानिदेशक, रा.ज.वि.य ने एजेंडा नोट्स में दिए गए एमएसटीजी लिंक की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने उल्लेख किया कि मानस बेसिन (रा.ज.वि.य के प्रस्तावित मानस बांध के अपस्ट्रीम में) में 2250 मेगावाट क्षमता की कुरी-गोंगरी परियोजना के लिए डीपीआर की तैयारी वैपकोस द्वारा भूटान के जलविद्युत और विद्युत प्रणाली विभाग (डीएचपीएस) के लिए की गई है, इसलिए एक बार कुरी-गोंगरी जलविद्युत परियोजना के रिलीज पैटर्न का विवरण ज्ञात हो जाने के बाद एमएसटीजी लिंक को उपयुक्त रूप से योजना को संशोधित करना उचित होगा।

श्री एम. गोपालकृष्णन ने उल्लेख किया कि मानस बांध परियोजना के सर्वेक्षण और जांच कार्य में देरी के परिणामस्वरूप भूटान ने अपस्ट्रीम परियोजनाओं के लिए अग्रिम कार्रवाई की है। मानस बांध से उत्पन्न होने वाले पानी की सकल मात्रा में संशोधन हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह की जांच मानस बांध की डीपीआर के लिए काम करती है।भूटान और देश के संबंधित राज्यों के सहयोग से इसे तुरंत लिया जाना चाहिए। उन्होंने समिति की कार्यवाही में विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रतिनिधि को शामिल करने का सुझाव दिया।

श्री आर.एस. प्रसाद ने परियोजना को चरणों में विभाजित करने का सुझाव दिया ताकि जैसे ही विभिन्न बांधों के लिए द्विपक्षीय समझौता किया जाए उसे उसी समय समेकित किया जा सके।

संयुक्त सचिव (पीपी) ने उल्लेख किया कि आज तक देश ने ब्रह्मपुत्र बेसिन में पानी के उपयोग को स्थापित नहीं किया है। चीन ब्रह्मपुत्र के पानी को अन्य घाटियों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है, जहां पानी की कमी है। यदि चीन अपनी परियोजनाओं को लागू करता है तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में हमारा कोई दावा नहीं होगा क्योंकि हमने कोई जल अधिकार स्थापित नहीं किया है।

श्री श्रीराम वेदिरे, सदस्य ने एससीआईएलआर की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि को आमंत्रित करने का सुझाव दिया, जिस पर सहमति बनी।

मद सं 13.8 नदियों को आपस में जोड़ने के लिए नदी बेसिन में अधिशेष जल

महानिदेशक, रा.ज.वि.य ने सूचित किया कि कार्यबल के सुझावों के अनुसार, विभिन्न राज्यों और कार्यबल के सदस्यों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक जल संतुलन अध्ययन तैयार करने के लिए दिशा-निर्देशों को पुन संशोधित किया गया है। टास्क फोर्स की अगली बैठक में इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।

मद सं 13.9 अंत:राज्यीलिंक प्रस्तावों की स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.य ने विशेष समिति को कार्यसूची नोट्स में दिए गए अंतर्राज्यीय लिंकों की विस्तृत स्थिति के बारे में सूचित किया। तमिलनाडु और केरल राज्यों के प्रतिनिधियों ने उन्हें पोन्नैयार-पलार अंत:-राज्यीय लिंक परियोजना की डीपीआर की एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया। महानिदेशक,रा.ज.वि.य ने उल्लेख किया कि डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसकी एक प्रति इसके पूरा होने के बाद ही प्रदान की जा सकती है।

ओडिशा सरकार के प्रतिनिधि ने ओडिशा के 3 अंत:राज्यीलिंको जेसे महानदी-ब्राह्मणी, महानदी-रुशिकुल्य (बरमूल) और वामसाध्र- रुशिकुल्य (नंदनी नाला)की डीपीआर शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने उल्लेख किया कि ओडिशा सरकार की सहमति के बिना झारखंड राज्य के अंत:राज्य लिंकों की डीपीआर शुरू नहीं की जानी चाहिए।

महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने स्पष्ट किया कि अंत:राज्यी लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने का कार्य संबंधित राज्य के अनुरोध पर परामर्श के आधार पर और सह-बेसिन राज्य की सहमति के बाद रा. ज. वि. अ द्वारा किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि महानदी-रूशिकुल्य लिंक में से एक को महानदी-गोदावरी लिंक के संशोधित प्रस्ताव में शामिल किया जा रहा था और इसे तब पूरा किया जाएगा जब राज्य सरकार की सहमति के बाद महानदी (बरमूल)-गोदावरी लिंक की डीपीआर ली जाएगी।

मद संख्या 13.10: राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के पुनर्गठन

महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने बताया कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (उप समिति- III) के पुनर्गठन के लिए उप-समिति की रिपोर्ट सितंबर, 2015 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी।

माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) के समक्ष 30 मई, 2016 को "रा. ज. वि. अ के पुनर्गठन" पर एक प्रस्तुति दी गई थी। 8 दिसंबर, 2016 को सचिव (जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) को एक और प्रस्तुति दी गई थी। जैसा

कि 08.12.2016 की बैठक में निर्णय लिया गया था उसी संबंध में रा. ज. वि. अ ने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता को संशोधित किया और मई, 2017 में मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

संयुक्त सचिव (पीपी), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण ने रा. ज. वि. अ के पुनर्गठन की आवश्यकता और तात्कालिकता पर बल दिया ताकि रा. ज. वि. अ के काम में कई गुना वृद्धि हो सके । माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने इच्छा व्यक्त की कि रा. ज. वि. अ के पुनर्गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए, ताकि रा. ज. वि. अ को सौंपे गए आईएलआर कार्यक्रम और अन्य कार्यों की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रा. ज. वि. अ को मजबूत किया जा सके।

मद संख्या 13.11: कानूनी समूह की रिपोर्ट

महानिदेशक ने बताया कि नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्य बल ने श्री ए.डी. मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में कानूनी पहलुओं एवं आवश्यक सक्षम प्रावधानों को देखने और नदियों के इंटरलिंकिंग और अन्य संबंधित मुद्दों की के कार्यान्वयन के लिए एक समूह का गठन किया। समूह ने कुल 10 बैठकें की थीं और मार्च, 2017 में टास्क फोर्स के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कानूनी समूह की रिपोर्ट की केंद्रीय जल आयोग द्वारा भी जांच की गई थी।

महानिदेशक ,रा. ज. वि. अ ने यह भी सूचित किया कि समूह की सिफारिशों के कानूनी पहलुओं की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए और कार्यबल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, रिपोर्ट को प्रोफेसर एन आर माधव मेनन, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर को इस संबंध में उनकी सलाह लेने के लिए भेजा गया है। प्रोफेसर मेनन के जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है। टास्क फोर्स द्वारा प्रतिक्रिया और विचार की प्राप्ति के बाद, रिपोर्ट को विशेष समिति के विचार के लिए रखा जाएगा।

मद संख्या 13.12: नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति के अंतर्गत उप-समिति-I और II के कार्यकाल का विस्तार

महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने बताया कि विशेष समिति की उप-समिति- I और II का कार्यकाल 12 अगस्त, 2017 तक समाप्त हो जाएगा। चूंकि इन उप-समितियों के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) में आईएलआर पर टास्क फोर्स के समान दीर्घकालिक कार्य और अध्ययन / जांच शामिल है और इन उप-समितियों द्वारा अभी भी बड़ी मात्रा में कार्य किए जाने बाकी हैं,

कार्यकाल का विस्तार आवश्यक माना जाता है। विशेष समिति उप-समिति-I और II के कार्यकाल को 12.08.2017 से आगे छह महीने के लिए बढ़ाने के लिए सहमत हुई।

मद संख्या 13.13: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई मद

तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने पंबा अचनकोविल-वैप्पर लिंक परियोजना को आरंभ करने का अनुरोध किया । रा. ज. वि. अ ने स्पष्ट किया कि केरल इस लिंक के पक्ष में नहीं था। रा. ज. वि. अ दोनों संबंधित राज्यों की सहमति से ही परियोजना को आरंभ करेगा ।

माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने अपनी समापन टिप्पणी में उल्लेख किया कि आईएलआर परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों की सहमति और सहयोग से लागू किया जाएगा। देश पहले केन-बेतवा लिंक परियोजना के आने का इंतजार कर रहा है। तत्पश्चात पर-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजाल लिंक को कार्यान्वयन के लिए लिया जाएगा। उन्होंने केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संबंधित राज्यों से उनके मतभेदों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का अनुरोध किया ताकि परियोजना को लागू किया जा सके।

महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने 28-29 जुलाई, 2017 के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में जल मंथन- IV में भाग लेने के लिए समिति के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया। महानिदेशक, रा. ज. वि. अ ने यह भी उल्लेख किया कि पांचवां भारत जल सप्ताह10-14 अक्टूबर, 2017 के दौरान आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया था। उन्होंने समिति के सदस्यों से इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए रा. ज. वि. अ को वांछित समर्थन और सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया।

बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

27.07.2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित नदियों को जोड़ने की विशेष समिति की 13वीं बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और प्रतिभागियों की सूची।

1.	डॉ संजीव कुमार बाल्यान माननीय राज्य मंत्री (ज.सं.न.वि. और गं. सं. वि.), भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री गिरीश महाजन: माननीय मंत्री (जल शक्ति मंत्रालय), महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
3.	डॉ अमरजीत सिंह, सचिव (जल शक्ति मंत्रालय .सं.न.वि. और गं. सं. वि.), नई दिल्ली।	सदस्य
4.	श्री आई.एस. चहल प्रमुख सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार ,मुंबई	सदस्य
5.	श्री शशि भूषण कुमार सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	सदस्य
6.	श्री एस.के. प्रभाकरी प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई	सदस्य
7.	श्री गुरुपादस्वामी बी.जी. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु	सदस्य
8.	श्री सी.पी. त्रिपाठी विशेष सचिव, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	प्राचार्य का प्रतिनिधित्व सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
9.	श्रीमती चित्रा अरुमुगामो विशेष सचिव, जल शक्ति मंत्रालय,	मुख्य सचिव का प्रतिनिधित्व,

	उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर	उड़ीसा सरकार
10.	श्री के.बी. रबाडिया मुख्य अभियंता (एसजी) और अपर सचिव (जल शक्ति मंत्रालय), गुजरात सरकार, गांधीनगर	प्रतिनिधि सचिव, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार
11.	श्री आर.एस. प्रसाद पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	सदस्य
12.	श्री पवन कुमार सलाहकार, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	मुख्य सलाहकार का प्रतिनिधित्व (लागत), व्यय विभाग, वित्त मत्रांलय
13.	श्री अविनाश मिश्रा संयुक्त सलाहकार (डब्ल्यूआर एंड एलआर)	नीति आयोग, नई दिल्ली प्रतिनिधि सदस्य (कृषि) नीति आयोग, नई दिल्ली
14.	श्री एस. नरसिम्हा राव मुख्य अभियंता (आईएस एंड डब्ल्यूआर), तेलंगाना सरकार, हैदराबाद	अतिरिक्त प्रमुख का प्रतिनिधित्व सचिव, सिंचाई और सीएडी, तेलंगाना सरकार
15.	श्री जोशी के.ए. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम	प्रमुख सचिव का प्रतिनिधित्व करते हुए, जल संसाधन विभाग, केरल सरकार
16.	डॉ. एस. केरकेट्टा	प्रतिनिधि सचिव,

	निर्देशक, वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली
17.	श्री डी.आर. मीना मुख्य अभियंता (एसडब्ल्यूआरपीडी), जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	प्राचार्य का प्रतिनिधित्व सचिव, ज.श.मं., सरकार राजस्थान
18.	श्री ओंकार सिंह संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून	प्रतिनिधि सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार
19.	श्री श्रीराम वेदिरे सामाजिक कार्यकर्ता & सलाहकार, न.वि.और गं. सं मं, नई दिल्ली	सदस्य
20.	श्री नरेंद्र बिरथरे, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व विधायक, शिवपुरी, मध्य प्रदेश	सदस्य
21.	श्री वाई.सी. शर्मा अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	प्राचार्य का प्रतिनिधित्व सचिव, मध्य प्रदेश सरकार
22.	श्री बिपिन कुमार अधीक्षण अभियंता (पी एंड एम), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	प्राचार्य का प्रतिनिधित्व सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार
23.	श्री जयदीप शुक्ला उप सचिव और ओएसडी, असम सरकार, गुवाहाटी	मुख्य सचिव का प्रतिनिधित्व, असम सरकार

24.	श्री प्रदीप यादव अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार, नई दिल्ली	अतिरिक्त प्रमुख का प्रतिनिधित्व सचिव, सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार
25.	श्री डी. के. सिन्हा कार्यकारी अभियंता, जल शक्ति मंत्रालय, झारखंड सरकार, रांची	प्रमुख सचिव का प्रतिनिधित्व करते हुए, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार
26.	श्री एस. मसूद हुसैन महानिदेशक, रा.ज.वि.य, नई दिल्ली	सदस्य सचिव
स्थायी आमंत्रित		
27.	श्री बी.एन. नवलवाला मुख्य सलाहकार, ज.सं.न.वि. और गं. सं. वि.और अध्यक्ष, आईएलआर पर टास्क फोर्स	
विशेष आमंत्रित		
28.	श्री एम. गोपालकृष्णन अध्यक्ष, एससीआईएलआर की उप-समिति-III सदस्य, आईएलआर के लिए कार्यबल	
29.	श्री ए.डी. मोहिले पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी सदस्य, आईएलआर के लिए कार्यबल	
ज.सं.न.वि. और गं. सं. वि.और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी		
30.	श्री संजय कुंडू	

	संयुक्त सचिव (पीपी), ज.सं.न.वि. और गं. सं. वि., नई दिल्ली	
31.	श्री वीरेंद्र शर्मा वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम), ज.सं.न.वि. और गं. सं. वि., नई दिल्ली	
32.	श्री समीर सिन्हा, प्रवक्ता,ज.सं.न.वि. और गं. सं. वि., नई दिल्ली	
33.	श्री जे. बोस निदेशक, कार्यालय मुख्य सलाहकार लागत, विभाग व्यय का, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	
34.	श्री एन. कुमारा वेली, वैज्ञानिक-डी, नीति आयोग, नई दिल्ली	
राज्य सरकारों के अधिकारी		
35.	श्री के.एस. रामकुमार उपाध्यक्ष, कावेरी तकनीकी प्रकोष्ठ, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई	
36.	श्री वी.के. सिंह मुख्य अभियंता (दक्षिण), सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	
37.	श्री ए.के. श्रीवास्तव मुख्य अभियंता, बेतवा परियोजना, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	
38.	श्री पी. राम कृष्ण मूर्ति मुख्य अभियंता (आईएस और डब्ल्यूआर), आंध्र प्रदेशसरकार ,हैदराबाद	
39.	श्री पी.सी. गौर अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून	
40.	श्री ए प्रसाद राव ओएसडी, माननीय जल संसाधन मंत्रालय मंत्री,	

	आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	
41.	श्री सत्यपाल मीणा निदेशक (नहर), आईडी एंड आर, जल संसाधन , जयपुर, राजस्थान सरकार	
42.	श्री एम. गोलवलकर कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	
43.	श्री एस.के.बसलियाल अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून	
44.	श्री आर. वेंकट रमण: उप निदेशक, आईएसडब्ल्यूआर, आई एंड सीएडी विभाग, तेलंगाना सरकार	
45.	श्री डी. शंकर राव उप कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन मंत्रालय, हैदराबाद सरकार ,आंध्र प्रदेश	
46.	श्री सी. चंद्रा रेजिडेंट इंजीनियर, जल संसाधन मंत्रालय, बिहार सरकार, नई दिल्ली	
राजविअ अधिकारी		
47.	श्री आर. के. जैन मुख्य अभियंता (मुख्यालय), नई दिल्ली	
48.	श्री एम. के. श्रीनिवास मुख्य अभियंता (दक्षिण), हैदराबाद	
49.	श्री के.पी. गुप्ता निदेशक (तकनीकी/एससीआईएलआर), नई दिल्ली	
50.	श्री ओ.पी.एस. कुशवाह	

	अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली	
51.	श्री डी.के. शर्मा अधीक्षण अभियंता, वलसाड	
52.	श्री आर.के. खरबंदा उप निदेशक, नई दिल्ली	
53.	श्री नागेश महाजन उप निदेशक, नई दिल्ली	
54.	श्री अनिल कुमार जैन उप निदेशक, नई दिल्ली	
55.	श्री एम.के. सिन्हा वरिष्ठ सलाहकार, नई दिल्ली	
56.	श्री निज़ाम अली सलाहकार, नई दिल्ली	